L. C. BILL No. XI OF 2026.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PRIVATE SKILLS UNIVERSITIES (ESTABLISHMENT AND REGULATION) ACT, 2024.

विधानपरिषद का विधेयक क्रमांक ११ सन् २०२६।

महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ में अधिकतर संशोधन करने संबंधि विधेयक।

सन् २०२४ का महा. ३५। **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है; अतः भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम । **१.** यह अधिनियम महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२६ कहलाए।

सन् २०२४ का महा. ३५। **२.** महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ की संलग्न अनुसूची के भाग दो की सारणी में प्रविष्टि २ के पश्चात्, निम्न प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, अर्थात् :— सन् २०२४ का महा. ३५ की अनुसूची में संशोधन।

"३. विश्वकर्मा माणिकराव डी. लोटलीकर विद्यासंकुल, ७९१, एस. के. मार्ग, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा (पश्चिम), जिला-मुंबई ४०००५० में स्थित आई ई एस कौशल तकनिकी विश्वविद्यालय, मुंबई ।	भारतीय शिक्षा संस्था महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम (सन् १९५० का २९) के अधीन रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास धारित रजिस्ट्रीकरण क्रमांक एफ-१९० (बी), राजा शिवाजी विद्या संकुल, हिंदू कॉलनी, दादर (पूर्व), मुंबई ४०००१४ में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है।"।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ (सन् २०२४ का महा. ३५) यह महाराष्ट्र राज्य में कौशल शिक्षा का विकास तथा उन्नयन करने के लिए स्व-वित्तपोषित निजी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना, निगमन, और विनियमन करने के लिए उपबंध करता है।

२. उक्त अधिनियम कि, धारा ६ यह उपबंध करती है कि, सरकार, धारा ५ कि उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि, प्रायोजक निकाय ने धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है तो वह राज्य विधानमंडल से विधि की अधिनियमित द्वारा अनुसूची का संशोधन कराकर अनुसूची के भाग दो में निजी कौशल विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और मुख्यालय तथा उसके प्रायोजक निकाय के समावेशन द्वारा निजी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने की अनुमति दे सकेगी।

३. सरकार ने, धारा ५ की उप-धारा (४) के अधीन सत्यापन समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् उसका यह समाधान हुआ है कि, भारतीय शिक्षा संस्था के प्रायोजक निकाय ने "आई ई एस कौशल तकनिकी विश्वविद्यालय" के नाम से निजी कौशल विश्वविद्यालय कि स्थापना करने के लिए धारा ५ के उपबंधों का अनुपालन किया है।

४. इसलिए, विधि अधिनियमिति द्वारा उक्त प्रस्तावित निजी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना करने कि अनुमति देने तथा उसमें उक्त विश्वविद्यालय का नाम, स्थान और मुख्यालय का समावेशन करने के लिए, महाराष्ट्र निजी कौशल विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, २०२४ से संलग्न अनुसूची के भाग दो का संशोधन करना इष्टकर समझा है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २३ जून, २०२६।

मंगलप्रभात लोढा,
कौशल, रोजगार, उद्यमीता और नवाचार मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),
श्री. अरूण कमळाबाई वाळू गिते,
प्रभारी भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधानभवन :
मुंबई,
दिनांकित २३ जून, २०२६।

डॉ. विलास आठवले,
सचिव - ३
महाराष्ट्र विधानपरिषद।

शासकीय, मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई.